


राजस्थान लोक अदालत कैंप/कोर्ट 2016

3

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू डी.ए. 1717 मुकाम ग्राम पंचायत मंडीन्दा कला प्रकरण सं 137/2016 उपवाण नन्द किशोर बनाम गोकुलचन्द वमीरह प्रार्थना-पत्र अदम तकमील निवेद्यमान अन्तर्गत आवेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी	राजस्थान लोक अदालत न्याय अखण्ड कैंप उपवाण 2016
21.08.2018	<p>यह पत्रावली राजस्थान लोक अदालत ग्राम पंचायत मंडीन्दा कला में पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2018 के द्वारा अप्रार्थीगण नम्बर 4 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड तलवाना पेश करने हेतु हेदायत वकील प्रार्थी को की गई। परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में अप्रार्थीगण न. 4 की तलबी पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राजस्थान)</p>	